

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 12/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 12/08/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री नवीन कर्णवाल, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री जगदीश चंद्र, सहायक डीजीएफटी, अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 29/07/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 29/07/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 16/07/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) एसोसिएटेड लाइटिंग कंपनी - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और प्रदर्शन की निगरानी करना।

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स एसोसिएटेड लाइटिंग कंपनी ने अपने स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन अर्थात् "इलेक्ट्रिक लैंप के भाग (85139000) (3,00,000 पीसी/वर्ष) का विनिर्माण" को शामिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

सुरेन्द्र मलिक

2.2 यह सूचित किया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क ने सूचित किया था कि इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 50 और 51 के अनुसार वैधानिक प्रावधानों अस्थायी स्थानांतरण (टीआर) चालान के अनुपालन को सुनिश्चित करने में ढिलाई बरत रही थी। नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क ने यह भी सूचित किया था कि इकाई ने वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 में 56,65,412 रुपये की अंतरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बिक्री का विवरण प्रस्तुत किया था, जबकि उक्त अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में अंतरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बिक्री 58.03 लाख रुपये बताई गई थी।

2.3 श्री रणधीर कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में माल केवल प्रदर्शन/प्रदर्शनी/परीक्षण के उद्देश्य से हटाया गया था, जॉब-वर्क के लिए नहीं। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 50 और 51 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तु को स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने के लिए मेसर्स एसोसिएटेड लाइटिंग कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अतिरिक्त वस्तु के लिए संशोधित निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अनुमानों और कच्चे माल/पूँजीगत वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की और पांच वर्षों के तीसरे ब्लॉक यानी 2016-17 से 2020-21 तक और आगे वर्ष 2021-23 के लिए वर्तमान ब्लॉक से संबंधित सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। इसके अलावा, समिति ने इकाई को वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में उल्लिखित इंटरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बिक्री और नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क से प्राप्त बिक्री में अंतर को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

(3) रिट्जी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में विस्तार।

3.1 यह बताया गया कि मेसर्स रिट्जी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड को बिल्डर हार्डवेयर और अभियांत्रिकी सामान के विनिर्माण के लिए दिनांक 19/12/2019 को स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया गया था। इकाई ने अपना निर्यात उत्पादन शुरू नहीं किया था और इसका स्वीकृति पत्र (LOA) 18/12/2021 तक वैध था। यह भी बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 25/02/2021 को आयोजित अपनी बैठक में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार मेसर्स एच एंड एस इंडस्ट्रीज के प्लॉट नंबर 151, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मेसर्स रिट्जी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। हालांकि, मेसर्स एच एंड एस इंडस्ट्रीज ने आज तक विकास औपचारिकताओं का पालन नहीं किया है।

3.2 मेसर्स रिट्जी हार्डवेयर के निदेशक श्री हर्षवर्धन शर्मा और मेसर्स एच एंड एस इंडस्ट्रीज के भागीदार श्री सतिंदर सिंह खुराना (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री सतिंदर सिंह खुराना ने बताया कि एनसीबी के साथ चल रहे मामले के कारण नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) कस्टम्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का इंतजार किया जा रहा था, जिसमें उनके नाम पर जालसाजी करके बुक किया गया 'कोकेन' युक्त एक कंटेनर ऑस्ट्रेलियाई

सुरेंद्र मलिक

संघीय पुलिस प्राधिकरण द्वारा जब्त किया गया था। हालांकि, उक्त कंटेनर को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नौएडा से मंजूरी नहीं मिली थी।

3.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि मेसर्स रिट्ज़ी हार्डवेयर का स्वीकृति पत्र (LOA) 18/12/2021 को पहले ही समाप्त हो चुका है। इसके अलावा, जिस अवधि तक विकास आयुक्त द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) विस्तार दिया जा सकता है, वह भी 18/12/2022 को समाप्त हो गई है और अब यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(4) के तहत विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के दायरे में नहीं आता है।

3.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद तथा आंतरिक कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए मेसर्स रिट्ज़ी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृति पत्र (LOA) को 18/12/2021 से उसके स्वीकृति पत्र (LOA) की समाप्ति के बाद 'पतित' मानने का निर्णय लिया। इसने इकाई को निर्देश दिया कि यदि वे नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो वे नए स्वीकृति पत्र (LOA) के लिए आवेदन करें। अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार मेसर्स एच एंड एस इंडस्ट्रीज को प्लॉट नंबर 151, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों से बाहर निकलने और मेसर्स रिट्ज़ी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए दी गई पिछली सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने का भी निर्णय लिया। समिति ने मेसर्स एच एंड एस इंडस्ट्रीज को अपने स्वीकृति पत्र (LOA) के संबंध में अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

(4) इंडिका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड – अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतनीकरण के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

4.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अक्षय शाह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मौजूदा आईटीसी (एचएस) कोड यानी 39211390 के साथ-साथ 'फोम पाटर्स' के लिए अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोड 39269099 के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति दिनांक 10/07/2024 को अनुमोदित की।

(5) विद्या मंत्र एडुसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 यह बताया गया कि मेसर्स विद्या मंत्र ने 20/12/2024 से 19/12/2029 तक पांच साल के दूसरे ब्लॉक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इकाई ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन में संशोधन के लिए भी आवेदन किया था:

मौजूदा	:	नवीकृत अवधि के लिए प्रस्तावित
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएँ और सक्षम सेवाएँ, सहायता केंद्र और वेब-साइट सेवाएँ, सामग्री		(i) लेखा और बहीखाता सेवाएँ (सीपीसी: 8222) (ii) अनुसंधान और विकास सेवा (सीपीसी: 8140)

सुरेंद्र मलिक

विकास या एनीमेशन, मानव संसाधन सेवाएँ, कॉल सेंटर, अनुसंधान और विकास सेवाएँ, पेशेवर सेवाएँ, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, शैक्षिक सेवाएँ, अस्पताल सेवाएँ, अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएँ, ऑपरेटरों के बिना किराये/लीजिंग सेवाएँ, ऑडियो-विजुअल सेवाएँ, बैंक-ऑफिस संचालन, दूरस्थ रखरखाव, डेटा प्रोसेसिंग, अभियांत्रिकी और डिज़ाइन, ग्राफिक सूचना प्रणाली सेवाएँ, पेट्रोल, राजस्व लेखांकन, अन्य व्यावसायिक सेवाएँ	(iii) प्रबंधन परामर्श और प्रबंधन सेवाएँ (सीपीसी: 8311) (iv) व्यवसाय परामर्श सेवाएँ (सीपीसी: 8312) (v) सूचना प्रौद्योगिकी आईटी परामर्श और सहायता सेवाएँ (सीपीसी: 8313) (vi) सूचना प्रौद्योगिकी आईटी डिज़ाइन और विकास सेवाएँ (सीपीसी: 8314) (vii) होस्टिंग और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अवसंरचना प्रावधान सेवाएँ (सीपीसी: 8315) (viii) आईटी अवसंरचना और नेटवर्क प्रबंधन सेवाएँ (सीपीसी: 8316) (ix) निर्माण परियोजना प्रबंधन सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रबंधन सेवाएँ (सीपीसी: 8319) (x) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक सेवाएँ, एन.ई.सी. (सीपीसी: 8399) (xi) वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाएँ एन.ई.सी. (सीपीसी: 8393) (xii) अन्य शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएँ (सीपीसी: 9291) (xiii) शैक्षिक सहायता सेवाएँ (सीपीसी: 9292) (xiv) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेटाबेस का उपयोग करने के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ (सीपीसी: 7331) (xv) अन्य बौद्धिक संपदा उत्पादों का उपयोग करने के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ (सीपीसी: 7339) (xvi) अन्य सूचना और सहायता सेवाएँ (सीपीसी: 8599) (xvii) ऑनलाइन पाठ आधारित सूचना सेवा (सीपीसी: 8431) (xviii) ऑनलाइन ऑडियो सामग्री सेवा (सीपीसी: 8432) (xix) ऑनलाइन वीडियो सामग्री सेवा (सीपीसी: 8433) (xx) सॉफ्टवेयर डाउनलोड (सीपीसी: 8434) (xxi) अन्य ऑनलाइन सामग्री (सीपीसी: 8439) (xxii) अभिलेखीय सेवाएँ (CPC: 8452) (xxiii) अन्य वस्तुओं का रखरखाव और मरम्मत सेवाएँ (CPC: 8713) (xxiv) अन्य मशीनरी और उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत सेवाएँ (CPC: 8715)
--	--

5.2 श्री जय गुसा, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

सुरेंद्र मलिक

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत परिचालनों के लिए 20/12/2024 से 19/12/2029 तक पांच साल के दूसरे ब्लॉक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की भी निगरानी की और 2019-20 से 2023-24 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे नोट किया कि 31/03/2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

(6) नटिश एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के नाम और शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन।

6.1 यह बताया गया कि मेसर्स नटिश एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 07/02/2024 से इकाई का नाम "नटिश एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" से बदलकर "एक्लैट ऑनार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड" करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

6.2 इसके अलावा, यह भी बताया गया कि कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में थोड़ा बदलाव हुआ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरधारक का नाम	पिछली शेयरधारिता	वर्तमान शेयरधारिता
1. श्री माधव शर्मा	99%	99%
2. श्री योगेश	1%	-
3. सुश्री प्रीति गोयल	-	1%
शेयरधारिता में परिवर्तन	1%	

6.3 यह भी बताया गया कि इकाई ने पहले ही 02/11/2023 से उत्पादन शुरू करने की तिथि (डीसीपी) के बारे में सूचित कर दिया था और इसके समर्थन में अंचल से अंचल ट्रांसफर (शिपिंग बिल के बजाय) के लिए घरेलू खपत के लिए बिल ऑफ एंट्री की प्रति 14/11/2023 को प्रस्तुत की थी। हालांकि, इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम पर डीसीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर नहीं किया था।

6.4 नवनियुक्त निदेशक श्रीमती प्रीति गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्हें बताया गया कि शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के सीए प्रमाणित विवरण, बोर्ड संकल्प, सही संपर्क नंबर, ईमेल-आईडी आदि सहित कुछ दस्तावेज इकाई द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी।

6.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार नाम और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए इकाई के प्रस्ताव पर ध्यान दिया। यह लंबित दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम पर डीसीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और फाइल पर उसी की जांच करने का निर्देश दिया।

(7) लक्ष्मण ओवरसीज - अधिकृत परिचालन में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

सुरेंद्र मलिक

7.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स लक्ष्मण ओवरसीज ने अपने पत्र दिनांक 01.08.2024 और उसके बाद दिनांक 01.08.2024 को भेजे गए ईमेल में कहा था कि उन्हें अपने एक मूल्यवान ग्राहक लोहुम से एक प्रश्न प्राप्त हुआ है, जिन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खपत के लिए अपने गोदाम में एक नया उत्पाद भंडार करने का इरादा जताया है, जिसका नाम 'ऑक्सो मेटालिक कंपाउंड (अन्य) एचएसएन 28259090 है। इकाई द्वारा दिखाई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09/08/2024 के माध्यम से 'ऑक्सो मेटालिक कंपाउंड (अन्य) (आईटीसी एचएस 28259090) के गोदाम को शामिल करने के लिए अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन अनुमोदन दिया गया था।

7.2 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इकाई के बुनियादी ढांचे के संबंध में नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क से प्राप्त दिनांक 08.08.24 की स्थल दौरा रिपोर्ट का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में ईआरपी सॉफ्टवेयर, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे आदि की मौजूदगी का संकेत दिया गया था। इसलिए उचित विचार-विमर्श के बाद, इसने इकाई के अधिकृत संचालन में 'ऑक्सो मेटालिक कंपाउंड (अन्य) (आईटीसी एचएस 28259090) के भंडारण' को शामिल करने के लिए दिनांक 09/08/2024 को दी गई अनुमति की पुष्टि की।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेन्द्र मलिक

(सुरेन्द्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त